इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2013—ज्येष्ठ 31, शक 1935

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जून 2013

क्र. 1123-1139-2013-तेईस.—राज्य शासन एतद्द्वारा यो.आ.सां. म. प्र. जन अभियान परिषद् द्वारा दिनांक 24 मार्च 2013 को आयोजित स्वैच्छिक संगठन संवाद-2013 कार्यक्रम में मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य एवं जिला स्तरीय पुरस्कारों के साथ-साथ विकासखण्ड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिये विकासखण्ड स्तरीय पुरस्कारों की घोषणा की गई. मान. मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत

''**मुख्यमंत्री विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठन पुरस्कार**'' स्थापित एवं प्रदान करने के लिये निम्नलिखित नियम एवं प्रक्रिया प्रस्तावित है:—

1. **पुरस्कार का नाम—**

'मुख्यमंत्री विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठन पुरस्कार'

2. **उद्देश्य—**

यह पुरस्कार समाज में विकास के सभी क्षेत्रों में स्वैच्छिकता, सामाजिक सद्भाव, समरसता, जागरूकता लाने तथा श्रेष्ठतम उपलब्धियों व योगदान के लिये विकासखण्ड स्तर पर कार्यरत छोटे स्वैच्छिक संगठनों को सम्मानित करने हेतु स्थापित किया जा रहा है. इसके मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:—

- प्रदेश में विकास में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना.
- विकासखण्ड स्तर पर कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देना.
- विकासखण्ड स्तर पर कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों की विश्वसनीयता को स्थापित करना.
- समुदाय में स्वैच्छिकता तथा परस्पर सम्मान व सहयोग से कार्य करने के भाव को सुदृढ़ करना.
- स्वैच्छिक संगठनों में आपसी अनुभवों से सीख एवं प्रेरणा प्राप्त कर कार्य करने के भाव को जागृत करना.
- स्वैच्छिक जगत को सशक्त करना.

3. **पुरस्कार की संख्या—**

यह पुरस्कार प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर एक-एक स्वैच्छिक संगठन को प्रतिवर्ष प्रदान किया जायेगा. यह एक एकल पुरस्कार होगा जो संयुक्त रूप से नहीं दिया जायेगा.

4. **पुरस्कार की राशि—**

पुरस्कार	श्रेणी	पुरस्कार की राशि (रुपये में)
मुख्यमंत्री विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठन पुरस्कार.	एकल पुरस्कार	50,000/-

5. **पात्रता—**

यह पुरस्कार प्रदेश में पंजीकृत एवं विकासखण्ड स्तर पर कार्यरत उन स्वैच्छिक संगठनों को दिया जायेगा जो अपने कार्यों में नवाचार एवं रचनात्मकता के आधार पर अपने विकासखण्ड में शिक्षा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, समग्र स्वच्छता एवं साफ सफाई, नशामुक्ति, कुपोषण की रोकथाम, परिवार नियोजन व कृषि को लाभकारी बनाना आदि विषयों पर जन सहयोग से श्रेष्ठतम कार्य कर रही हों तथा उनके प्रयासों से उस क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया हो एवं वहां को लोगों में आत्मनिर्भरता आई हो. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को प्राथमिकता दी जावेगी.

6. **चयन प्रक्रिया —**

मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-3-2010-तेईस-यो.आ.सा. भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2010 के अनुसार मुख्यमंत्री जिला स्तरीय उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठन पुरस्कार हेतु स्वैच्छिक संगठनों के चयन के लिये राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार गठित उच्च स्तरीय निर्णायक मण्डल द्वारा ही मुख्यमंत्री विकासखण्ड स्तरीय स्वैच्छिक संगठन पुरस्कार हेतु स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा :—

✓	जिला कलेक्टर	-	अध्यक्ष
✓	पांच स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि	-	सदस्य
✓	ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, शिक्षा स्वास्थ्य, वन, ऊर्जा विकास तथा यो.आ.सां. विभागों के जिला प्रमुख.	-	सदस्य
✓	जिला समन्वयक, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्	-	सदस्य/सचिव

सदस्यों को आमंत्रण तथा बैठक के संयोजन की कार्यवाही मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् (योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन) द्वारा की जायेगी.

7. **बजट—**

क्र	पुरस्कार का नाम	पुरस्कार का प्रकार	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार की राशि (रु. में)	कुल राशि (रु. में)
1	मुख्यमंत्री विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठन पुरस्कार.	एकल पुरस्कार.	313	50,000/-	1,56,50,000/-

8. **अन्य शर्तें —**

- उक्त पुरस्कार हेतु प्रदेश में पंजीकृत एवं संबंधित विकासखण्ड में सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों से प्रविष्टियां आमंत्रित की जायेंगी.
- पुरस्कार के चयन के लिये चौदह सदस्यीय निर्णायक मण्डल का गठन किया जायेगा. कोरम के लिये सात सदस्यों की उपस्थिति एवं निर्णय में सहभागिता आवश्यक होगी.
- आवेदक स्वैच्छिक संगठनों द्वारा दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन किया जायेगा. भौतिक सत्यापन के दौरान जानकारी में भिन्नता पाई जाने पर संबंधित संस्था को अपात्र माना जायेगा.
- पुरस्कार के चयन का मापदण्ड संबंधित क्षेत्र में उच्चकोटि की सृजनात्मकता, विशिष्ट उपलब्धि, नवाचार तथा असंदिग्ध एवं निरपवाद योगदान रहेगा. चयन के समय अनुशंसित संगठन का सृजनात्मक रूप से सक्रिय होना अनिवार्य होगा. पुरस्कार हेतु अनुशंसित प्रविष्टि के समग्र रचनात्मक योगदान पर विचार किया जायेगा.
- निर्णायक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रविष्टियां/अनुशंसाओं के अतिरिक्त निर्णायक मण्डल स्वविवेक से अन्य नामों पर विचार हेतु स्वतंत्र होगा.

- यदि निर्णायक मण्डल पुरस्कार के लिये किसी भी संगठन को उपयुक्त नहीं पाता है तो उस वर्ष यह पुरस्कार किसी अन्य को नहीं दिया जा सकेगा.
- इस पुरस्कार से एक बार सम्मानित संगठन को पुनः यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया जा सकेगा.
- निर्णायक मण्डल सर्वसम्मति से निर्णय लेकर अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा. निर्णायक मण्डल द्वारा अनुशंसित संगठन से पुरस्कार ग्रहण करने के लिये सहमति प्राप्त की जायेगी.
- निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर शासन की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही यह पुरस्कार घोषित किया जायेगा. घोषणा के पूर्व की सभी कार्यवाही गोपनीय रहेगी.
- पुरस्कार घोषित हो जाने के बाद, सम्मानित संगठन द्वारा इसे स्वीकार न किये जाने पर उस वर्ष किसी अन्य को यह पुरस्कार नहीं दिया जा सकेगा.
- विशिष्ट परिस्थितियों में यदि निर्णायक मण्डल सर्वसम्मति से निर्णय लेने में असमर्थ रहता है और एक से अधिक अनुशंसायें प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में शासन को निर्णय लेने का अधिकार होगा.

9. **संवितरण अधिकारी—**

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् (योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्यप्रदेश शासन) की ओर से वितरित किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. सिद्धार्थ, उपसचिव.

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, भोपाल

पंचम तल, बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जून 2013

क्र. 1671-म.प्र.वि.नि.आ.-2013-**शुद्धि-पत्र.**—''मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत् लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में प्रथम संशोधन की अधिसूचना क्रमांक 1288 दिनांक 3 मई 2013 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-4(ग), दिनांक 10 मई 2013 में हिन्दी संस्करण पृष्ठ क्रमांक 149 तथा 150 पर किया गया है. त्रुटिवश इस अधिसूचना के हिन्दी संस्करण के पृष्ठ क्रमांक 150 पर मुद्रित विनियम 4.28 की पाँचवीं पंक्ति में ''विद्युत लोकपाल'' के स्थान पर ''फोरम'' मुद्रित हो गया है. अतः अधिसूचना के हिन्दी संस्करण के पृष्ठ क्रमांक 150 पर मुद्रित विनियम 4.28 की पाँचवीं पंक्ति में ''फोरम'' के स्थान पर ''विद्युत् लोकपाल'' पढ़ा जाएगा.

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.